मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 335/आर 1133/2009/ब-1/चार भोपाल, दिनांक 30/03/2017

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्य प्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग
मंत्रालय भोपाल

2 समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी
मध्य प्रदेश भोपाल,

विषयः- वित्तीय वर्ष के अंतर्गत त्रैमासिक कार्ययोजना एवं बजट आवंटन।

--::::::-

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2010–11 से आयोजना बजट के लिये त्रैमासिक आहरण व्यवस्था लागू की गई थी। वर्ष 2017–18 से आयोजना तथा आयोजनेतर के विभेदीकरण को समाप्त किया जा चुका है। अतः त्रैमासिक आहरण की पूर्व व्यवस्था के आदेश को अधिक्रमित कर निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैः–

(1) वित्तीय वर्ष के पहले तथा दूसरे त्रैमास के लिए उपलब्ध बजट के व्यय के लिए, प्रथम 6 माह के लिए स्थापना व्यय को छोडकर 45 प्रतिशत की अधिकतम सीमा एवं चतुर्थ त्रैमास के लिए वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट आंवटन के 30 प्रतिशत की सीमा में अधिकतम व्यय किया जा सकेगा।

(2) पूर्व त्रैमासों की अव्ययित राशि चतुर्थ त्रैमास में व्यय करने की अनुमति देने के लिए तथा किन्हीं विशिष्ट कारणों से भिन्न मापदण्ड आवश्यक होने पर वित्त विभाग द्वारा अनुमति प्राप्त की जायें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज कुमार जैन)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्र0 क्र0 336/आर 1133/चार/ब-1/2009 भोपाल, दिनांक 30/03/2017

प्रतिलिपि :-

1) राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल ।

2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा , भोपाल ।

3) निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।

4) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।

5) सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर।

6) सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।

7) महाधिवक्ता,/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल /इंदौर/ग्वालियर ।

8) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 म0प्र0 ग्वालियर /भोपाल।

9) आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।

10) मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर , म0प्र0 मंत्रालय, भोपाल ।

11) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा, मध्यप्रदेश ।

12) समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।

13) समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग